संख्या- 298 /2025/ 2521 /चार-2025-1938817

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 10 सितम्बर, 2025**

विषय:- आयोजित/ प्रायोजित कार्यक्रम समिति की बैठक में की गयी संस्तुत धनराशि की कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 1488 /सं0नि0-15(13)/2024-25(12), दिनांक 21 अगस्त, 2025 एवं पत्र संख्या- 792 /सं0नि0-15(13)/2024-25(12), दिनांक 18 जून, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा आयोजित/ प्रायोजित कार्यक्रम समिति की बैठक दिनांक 24 मार्च, 2025 में की गयी संस्तुति के क्रम में निम्नलिखित तिथियों पर कराये गये सांस्कृतिक कार्यक्रम में कलाकार के मानदेय का भुगतान किये जाने हेतु रू0 9.78 लाख की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है:-

क्र0	विवरण (कार्यक्रम का नाम/स्थान/ प्रयोजन)	कार्यक्रम की तिथि	कलाकार/ संस्था जिन्हे भुगतान किया जाना है	धनराशि मानदेय/ प्रतिपूर्ति
1	लोक गायन	12.01.2025	श्री अंजनी कुमार मिश्र, लखनऊ	50,000.00
2	भारतनाटय	12.01.2025	सुश्री निशि मिश्रा, लखनऊ	40,000.00
3	आल्हा	12.01.2025	सुश्री नेहा सिंह, रायबरेली	30,000.00
4	भजन एवं लोक गायन	12.01.2025	श्री नरेन्द्र सिंह, रायबरेली	30,000.00
5	लोक नृत्य	12.01.2025	सुश्री अंशिका त्यागी, लखनऊ	35,000.00
6	लोक गायन	04.02.2025	श्री कमाल खान, लखनऊ	45,000.00
7	सुगम संगीत गायन	24.01.2025	श्री हितेश भारद्वाज, लखनऊ	45,000.00
8	लोक गायन	08.12.2024	सुश्री शीलू श्रीवास्तव, लखनऊ	45,000.00
9	एक नाटय प्रस्तुति ' वल्लभभाई पटेल	15.01.2025	सुगत सांस्कृतिक शैक्षिक एवं सामाजिक संस्था, लखनऊ	50,000.00
10	लोक गायन	26.02.2025	श्री विक्रमजीत पाण्डेय, श्रावस्ती	30,000.00
11	धोबिया लोक नृत्य	29 व 30.03.2025	श्री उमेश कनौजिया, आजमगढ़	50,000.00
12	बधावा लोक नृत्य	29 व 30.03.2025	सुश्री सुमिष्ठा मिश्रा, अयोध्या	48,000.00
13	भजन एवं लोक गायन	28.03.2025	श्री चन्द्रेश पाण्डेय, लखनऊ	55,000.00
14	भजन एवं लोक गायन	25.03.2025	सुश्री आशा रानी श्रीवास्तव, लखनऊ	45,000.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

15	नृत्य नाटिका	23.03.2025	श्री राहुल सिंह, लखनऊ	40,000.00
16	नाटक 'यशोधरा'	06.03.2025	सुगत सांस्कृतिक शैक्षिक एवं सामाजिक संस्था, लखनऊ	50,000.00
17	नृत्य नाटिका	13.03.2025	श्री दबीर सिद्दीकी, लखनऊ	40,000.00
18	ओडिसी नृत्य	04.11.2024	सुश्री कुंजलता मिश्रा, मथुरा	60,000.00
19	भजन एवं लोक गायन	04.11.2024	सुश्री हितु मिश्रा, बरेली	40,000.00
20	जादू	25 व 26.02.2025	श्री रामानन्द पाठक, कानपुर	30,000.00
21	नृत्य नाटिका	03.02.2025	सुश्री रश्मि दीक्षित, लखनऊ	40,000.00
22	गायन	25.03.2025	सुश्री दीपांजलि त्रिपाठी, लखनऊ	35,000.00
23	भजन एवं लोक गायन	25.03.2025	श्री सुनील शुक्ला, लखनऊ	45,000.00
(रूपये नौ लाख अठहत्तर हजार मात्र)				9,78,000.00

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार आयोजित/ प्रायोजित कार्यक्रम समिति की बैठक दिनांक 24 मार्च, 2025 में की गयी संस्तुति के क्रम में उपर्युक्त विवरणानुसार कलाकारों/ संस्था का भुगतान किये जाने हेतु **रू0 9.78 लाख (रूपये नौ लाख अठहत्तर हजार मात्र)** की कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्न शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) भविष्य में पूर्व अनुमति प्राप्त करके ही कार्यक्रम कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(4) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(6) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(7) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(8) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(9) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि को संस्थान/ कलाकार के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(10) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(11) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन-19- विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन-42-अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या - 298 /2025 / 2521 (1)/चार-2025-1938817 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।